

## कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

क्रमांक / राजस्व / 12-8(1)16 / 1337

दिनांक : 26/07/2018

### आदेश

अधिशायी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड, चित्तौड़गढ़ के द्वारा निवेदन किया कि पंचायत समिति, भैंसरोड़गढ़ के 38 ग्रामों एवं 27 ढाणियों की पेयजल परियोजना की वन विभाग से क्लियरेंस हेतु 3.81 है. वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिये वन विभाग को क्षतिपूरक गैर वन भूमि उपलब्ध कराई जावे। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा से उक्त वन भूमि के बदले गैर वन भूमि उपलब्ध कराने के लिये राजकीय बिलानाम भूमि का प्रस्ताव प्राप्त किया जाने पर उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा ग्राम कोलपुरा की राजकीय बिलानाम आ.सं. 102 मी. रकबा 6.91 है. में से 1.51 है. तथा ग्राम गोपालपुरा की राजकीय बिलानाम आ.सं. 33 रकबा 1.54 है. व आ.सं. 34 रकबा 1.64 है. में से 0.76 है. कुल कित्ता 3 रकबा 3.81 भूमियों को वन विभाग के पक्ष में आरक्षित की जाने का प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाया गया।

उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/9513 दिनांक 07.07.18 से पंचायत समिति, भैंसरोड़गढ़ के 38 ग्रामों एवं 27 ढाणियों की पेयजल परियोजना हेतु फोरेस्ट क्लियरेंस के लिये प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि के बदले में ग्राम कोलपुरा पटवार हल्का मण्डेसरा तह. रावतभाटा की राजकीय बिलानाम आ.सं. 102 रकबा 6.91 है. में से 1.51 है. गैर वन भूमि प्रस्तावित गैर वन भूमि वन खण्ड बान्दरमूथा से लगी हुई होना, प्रबंध/सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होना एवं प्रस्तावित गैर वन भूमि वन विभाग में लिये जाने से सहमत होना अवगत कराया है। उप वन संरक्षक (वन्यजीव) मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा ने पत्र दिनांक 24.7.18 से ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का भैंसरोड़गढ़ तहसील रावतभाटा की राजकीय बीड़ आ.सं. 33, 34 में से 1.53 है., 1.64 है. गैर वन भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित किये जाने के लिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, जवाहर सागर के पत्रांक/एफ( )तक. /384 दिनांक 19.07.2017 की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरे फोरेस्ट क्लियरेंस में प्रत्यावर्तित हेतु उचित होना अवगत कराया है।

अतः अधिशायी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड, चित्तौड़गढ़ के अनुरोध, उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा वन विभाग को क्षतिपूरक भूमि लिये प्रस्तावित की गई तथा उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ एवं उप वन संरक्षक (वन्यजीव) मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा की सहमति अनुसार ग्राम कोलपुरा की राजकीय बिलानाम आ.सं. 102 मी. रकबा 6.91 है. में से 1.51 है. तथा ग्राम गोपालपुरा की राजकीय बिलानाम आ.सं. 33 रकबा 1.54 है. व आ.सं. 34 रकबा 1.64 है. में से 0.76 है. कुल कित्ता 3 रकबा 3.81 हैक्टेयर भूमियों को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के प्रावधानों के अन्तर्गत वन विभाग के पक्ष में आरक्षित (सेट अपार्ट) की जाती है। आरक्षित भूमियों को उपयोग आरक्षण प्रयोजन से भिन्न नहीं किया जावेगा। तहसीलदार, रावतभाटा राजस्व रिकार्ड में अंकन के साथ नक्शों में भी आवश्यक तरमीम करें।



501  
जिला कलक्टर,  
चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि : सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
2. उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़
3. उप वन संरक्षक (वन्य जीव) मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा
4. अधिशायी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड, चित्तौड़गढ़
4. तहसीलदार, रावतभाटा
5. आदेश पंजिका

182  
अति. जिला कलक्टर,  
चित्तौड़गढ़